

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.  
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल		1. बुद्धा पुत्र मूल्या
2. प्रभु पुत्र मूल्या		जाति माली हाल निवासी ग्राम लवाण
समस्त जाति माली		तह. दौसा।
निवासी ग्राम जटवाडा		2. रामकिशन
गिरधरवास की ढाणी		3. संजय पुत्रान गौरया
तह. बस्सी।		4. सुगरी देवी बेवा गौरया
		समस्त जाति माली निवासी ग्राम जटवाडा
		गिरधरवास की ढाणी तह. बस्सी।
		5. सुआलाल पुत्र मांगीलाल
		जाति माली निवासी ग्राम जटवाडा
		गिरधरवास की ढाणी तह. बस्सी।
		6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
		7. ग्राम पंचायत जटवाडा जरिये सरपंच ग्राम
		जटवाडा।
		8. उपपंजीयक बस्सी।

### दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 243/08

निर्णय दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा में पेश हुई। तहसीलदार बस्सी से कुरैजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार तहसीलदार बस्सी द्वारा पेश कुरैजात सरस-नरस के आधार पर बनाये जाने पर प्राप्त कुरैजात का अनुमोदन किया जाकर वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 560/1 लगायत 560/5 कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 560/1, 560/5 कुल किता 2 कुल रकबा 19 बिस्वा भूमि खातेदार गौरया पुत्र मूल्या कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 1673/560/1, 560/2, 1674/560/5 कुल किता 3 कुल रकबा 19 बिस्वा भूमि खातेदार प्रभु पुत्र मूल्या कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 1675/560/2, 1676/560/5 कुल किता 2 कुल रकबा 19 बिस्वा भूमि खातेदार सुवालाल बाबूलाल पिता मांगीलाल कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 560/3 कुल किता 1 रकबा 19 बिस्वा भूमि खातेदार बुद्धा पुत्र मूल्या कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी। तथा ख.नं. 560/4 कुल किता 1 रकबा 8 बिस्वा भूमि खातेदार सुवालाल बाबूलाल पिता मांगीलाल हिस्सा 1/4 हि. ब गौरया बुद्धा प्रभु पिता मूल्या हि. 3/4 कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा में मजमे आम में सुनाया गया।

*And*  
14.5.18  
सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
बस्सी  
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई  
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.  
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल		1. बुद्धा पुत्र मूल्या जाति माली हाल निवासी ग्राम लवाण तह. दौसा।
2. प्रभु पुत्र मूल्या समस्त जाति माली निवासी ग्राम जटवाडा गिरधरवास की ढाणी तह. बस्सी।		2. रामकिशन 3. संजय पुत्रान गौरया 4. सुगरी देवी बेवा गौरया समस्त जाति माली निवासी ग्राम जटवाडा गिरधरवास की ढाणी तह. बस्सी। 5. सुआलाल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम जटवाडा गिरधरवास की ढाणी तह. बस्सी। 6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी। 7. ग्राम पंचायत जटवाडा जरिये सरपंच ग्राम जटवाडा। 8. उपपंजीयक बस्सी।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 243/08

निर्णय दिनांक 14.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 560/1 लगायत 560/5 कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 560/1, 560/5 कुल किता 2 कुल रकबा 19 बिस्वा भूमि खातेदार गौरया पुत्र मूल्या कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 1673/560/1, 560/2, 1674/560/5 कुल किता 3 कुल रकबा 19 बिस्वा भूमि खातेदार प्रभु पुत्र मूल्या कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 1675/560/2, 1676/560/5 कुल किता 2 कुल रकबा 19 बिस्वा भूमि खातेदार सुवालाल बाबूलाल पिता मांगीलाल कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 560/3 कुल किता 1 रकबा 19 बिस्वा भूमि खातेदार बुद्धा पुत्र मूल्या कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी। तथा ख.नं. 560/4 कुल किता 1 रकबा 8 बिस्वा भूमि खातेदार सुवालाल बाबूलाल पिता मांगीलाल हिस्सा 1/4 हि. ब गौरया बुद्धा प्रभु पिता मूल्या हि. 3/4 कोम माली सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। .....निजी.....मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त में दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.18 को जारी किया गया।  
मोहर.....

दस्तख्त.....  
ओहदा.....

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
--	--	--	--	--	--

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए

*End*

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
बस्सी  
बस्सी जिला जयपुर